राष्ट्रीय लोक अदालत
फर्द अहकाम

लोक अदालत :– तालुका विधिक सेवा समिति, सोजत
लोक अदालत बैंच(रेवेन्यू) सं. : 01

किस्म मुकदमा – राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 149 / 2024

गीतादेवी **बनाम** अप्रार्थी तहसीलदार सोजत

22-12-2024	पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। पूर्व में दिनांक 19.12.2024 को अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 131, 136 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार कर प्रकरण का निरस्ताकरण किया जा चूका है। प्रकरण में अव कोई कार्यवाही शेष नही है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। दिनेश कुमार गढ़वाल, अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच(रेवेन्यू) सं. 01 (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सोजत जिला पाली) श्री उमाराम, नायब तहसीलदार, सदस्य, राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच(रेवेन्यू) सं. 01 सोजत, जिला पाली।	

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री मारिंगा राम , आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 149 / 2024

प्रार्थीया	बनाम	अप्रार्थी
01. गीतादेवी पत्नी बुधाराम जाति सीरवी निवासी हिरावास तह0 सोजत जिला पाली राज0		01. तहसीलदार (भूमि धारक) तहसील सोजत जिला पाली राज0।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :–

01. श्री पुनीत दवे अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
02. तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

–: निर्णय :– दिनांक : 19/12/2024

अधिवक्ता मय प्रार्थीया ने विरूद्व अप्रार्थी अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा हीरावास पटवार हल्का गुड़ा रामसिंह भू.नि.क्षे. गुड़ा कलां तहसील सोजत जिला पाली में प्रार्थीया की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 91 रकबा 0.5300 हैक्टर, खसरा नंबर 92 रकबा 0.3100 हैक्टर कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.8400 हैक्टर की आई हुई स्थित है, वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 91 व 92 के पास ही खसरा संख्या 91 / 1, 92 / 1 स्थित हैं, जो कि वर्तमान में खसरा संख्या 73 के पास स्थित हैं। ऑनलाईन सेग्रीकेशन के समय वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 92 के पास स्थित खसरा नम्बर 92 / 1 की आनलाईन नक्शे में तरमीम खसरा संख्या 93 के पास कर दी गई, जबकि खसरा संख्या 92 / 1 खसरा संख्या 73 के पास स्थित हैं, उसी प्रकार वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 91 के पास स्थित खसरा संख्या 91 / 1 की ऑनलाईन नक्शे में तरमीम खसरा संख्या 93 के उपर एवं खसरा संख्या 89 के पास कर दी गई जबकि सही वास्तविक स्थिति यह है कि खसरा संख्या 92 / 1 व खसरा संख्या 91 / 1 क्रमशः खसरा संख्या 92 व 91 के उतरी पूर्वी दिशा में खसरा संख्या 73 के चिपते हुए स्थित हैं एवं वर्तमान में भी खसरा नम्बर 91 / 1, 92 / 1 के खातेदार खसरा नम्बर 73 के दक्षिणी पश्चिमी स्थित भू–भाग पर ही काबिज होकर खेती कर रहे हैं एवं उनका कब्जा भी उसी जगह हैं, ऑनलाईन सेग्रीकेशन के समय आनलाईन नक्शे की तरमीम में हुई तरमीम की त्रुटि को दुरूस्त करवाने के अधिकारीणी हैं। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र पेश कर वादग्रस्त कृषि भूमि सरहद मौजा हीरवास तह0 सोजत के खसरा नम्बर 92 व 91 के पास स्थित खसरा नम्बर 92 / 1, 91 / 1 की तरमीम दुरूस्त कर खसरा नम्बर 73 के पास किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर उक्त प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सोजत ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर पैरा सं0 में वर्णित भूमि सरहद मौजा हीरावास में होना, पैरा सं0 02, 03 प्रार्थी स्वयं न्यायालय में साक्ष्य सबूत पेश कर सिद्ध करना तथा पैरा सं0 04 से 07 कानूनी होना अंकित किया।

प्रकरण में वादस्थ भूमि के मौका एवं रेकर्ड की वस्तुस्थिति तहसीलदार सोजत को लिखा जाने पर तहसीलदार सोजत द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा हीरावास के ख.नं. 91, 92, 91 / 1, 92 / 1 के मौके पर नजरी नक्शानुसार मार्क पी0क्यू0आर0एस0 गीतादेवी पत्नि बुधाराम, सेणी देवी पत्नि लक्ष्मणराम, राधा देवी पत्नि

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

चम्पालाल, संगीता देवी पत्नि महेन्द्र के मकान चार दीवारी, प्लॉट एवं कुआं स्थित है तथा मार्क ए0बी0सी0डी0 ताज मो0 पुत्र बाबु खां, काली देवी पुत्री पारसमल वगैरा की तारबंदी से घिरा स्थान एवं कुआं मय विद्युत कनेक्शन स्थित हैं। वर्तमान राजस्व रेकर्ड/नक्शे अनुसार स्थिति 'ए' से तथा मौका अनुसार प्रस्तावित शुद्धि स्थिति 'बी' से दर्शाया गया हैं, की रिपोर्ट पेश की हैं।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए सरहद मौजा हीरवास तह0 सोजत के खसरा नम्बर 92 व 91 के पास स्थित खसरा नम्बर 92/1, 91/1 की तरमीम दुरूस्त कर खसरा नम्बर 73 के पास किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। जबाब बहस में अप्रार्थी तहसीलदार सोजत ने विधि सम्मत निर्णय पारित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र, जबाब प्रार्थना पत्र व फहरिस्त मय दस्तावेज का अध्ययन कर बहस उभय पक्षकारान पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, फहरिस्त मय दस्तावेजात एवं तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट के आधार पर वादस्थ भूमि के ऑनलाईन सेग्रीकेशन के समय राजस्व नक्शे में तरमीम की त्रुटि होने की संपुष्टि होती हैं। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझते है।

–: आदेशः–

अतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा हीरावास में स्थित खसरा नम्बर 92 व 91 के पास स्थित खसरा नम्बर 92/1, 91/1 की तरमीम दुरूस्त कर खसरा नम्बर 73 के पास तरमीम शुद्धि किये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत को आदेशित किया जाता है। मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय का एक भाग माना जाये। तहसीलदार, सोजत को निर्णय की प्रति एवं मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा की प्रति भेजकर पालना तहरीर भेजकर मंगवाई जावें। पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत न्यायालय परिसर सोजत में दिनांक 22.12.2024 को पेश हों।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)